KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED

CIN: L24241UP1981PLC005282
REGD. OFFICE: 51/47 NAYAGANJ, KANPUR - 208 001

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2020 (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	3 Months ended 30.06.2020 (Unaudited)	Previous Year ended 31.03.2020 (Audited)	Corresponding 3 Months ended 30.06.2019 (Unaudited)
1.	Total income from operations	-	-	-
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(7.51)	(54.78)	(13.14)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(7.51)	(54.78)	(13.14)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(7.51)	(43.28)	(13.14)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(7.51)	(42.56)	(13.14)
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	85.01	85.01	85.01
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	116.89	-
8.	Basic & Diluted Earnings per share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinuing operations) (Not Annualised) (in Rs.)	(0.88)	(5.01)	(1.55)

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company's website: www.khandelwalextractions.com.

For and on behalf of the Board of Directors
Dinesh Khandelwal
Director (Finance & CFO)
DIN: 00161831

Place: KANPUR
Date: 14.08.2020

इण्डियन ओवरसीज बैंक

एस.सी.ओ. 24, एचएसआईआईडीसी इण्डस्ट्रियल कॉम्पलेक्स, नोज-I, कुंडली-131028 जिला सोनीपत, भारत

सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों को माँग सूचना

स्थान: कुंडली
दिनांक: 13.08.2020

क्र.सं.	कर्जदार [नाम तथा पूरा पता] (यदि कर्जदार बंधककर्ता भी है तो कोष्ठक में सूचित करें)	क्र.सं.	जमानती [नाम तथा पूरा पता] (यदि जमानती बंधककर्ता भी है तो कोष्ठक में सूचित करें)
1.	मैसर्स कौशल इलेक्ट्रिकल्स (प्रोप. श्री सेवा राम (मृत) प्लॉट सं. 1374, एचएसआईआईडीसी, राई, जिला सोनीपत-131001	1. 2.	स्व. श्री सेवा राम पुत्र जेठराम त्यागी (प्रोप. मैसर्स कौशल इलेक्ट्रिकल्स) के समस्त विधिक उत्तराधिकारी, यदि कोई हो। श्री अमनदीप त्यागी पुत्र शिव दत्त त्यागी, ग्राम तेहा, तहसील-गन्नौर, जिला-सोनीपत-131101

प्रिय श्रीमान/महोदया

संदर्भ: इंडियन ओवरसीज बैंक, कुंडली शाखा में आपकी साख सुविधाएं

1. मृत प्रोपराइटर सेवाराम के समस्त विधिक उत्तराधिकारी तथा जमानती, हमारे बैंक के ऊपर नामित ऋणधारक ने हमारी कुंडली शाखा से निम्न साख सुविधाएं प्राप्त की हैं :

बकाए के साथ साख सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	साख का प्रकार	सीमा	ब्याज की दरें (ओवरड्यू ब्याज सहित) तथा रेस्ट्स	31.07.2020 तक कुल बकाया
1.	स्टॉक तथा बुक ऋण के दृष्टिबंधक के विरुद्ध नकद क्रेडिट	रु. 35.00 लाख (रुपये पैंतीस लाख मात्र)	अनुबन्ध दर + 2% ओवरड्यू	रु. 55,82,991/- + भावी अनडेबिटेड ब्याज

* अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज/रेस्ट्स सहित उपर्युक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक देय हो जायेगा।

क्रम सं. 2 में सन्दर्भित उपर्युक्त नामधारी जमानती ने दिनांक 23.11.2015 को गारंटी क्रियान्वित की है और इसके द्वारा सहमत ब्याज, प्रभारों आदि सहित रु. 35,00,000/- की सकल साख सीमा हेतु कर्जदारों द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक के माँग करने पर किसी भी समय समस्त राशि का भुगतान करने तथा सभी दायित्वों एवं देयताओं को उस समय या उसके पश्चात किये गये व्ययों हेतु गारंटी शुदा भुगतान निर्धारित किये गये।

नीचे वर्णित आस्तियों द्वारा साख सुविधाएँ बन्धक/ दृष्टिबंधक/भाड़ा क्रय/पट्टे (यथा प्रयोज्य) के माध्यम से प्रतिभूत की गयी थीं जो कर्जदार संख्या 1 के नाम पर है। ये क्रम सं. 1 पर उल्लिखित कर्जदार/बंधककर्ता के नाम पर सम्पत्ति के बन्धक द्वारा भी प्रतिभूत थीं। वे यहाँ ऊपर बंधककर्ता/जमानती सं. 1 एवं 2 के नाम पर सम्पत्ति के बंधक द्वारा भी प्रतिभूत थीं।

आप में से क्रम सं. 1 एवं 2 के तहत जमानतियों ने उपर्युक्त के अनुसार साख सुविधाओं हेतु व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की है।

मृत प्रोपराइटर तथा जमानती ने समय-समय पर उनके द्वारा क्रियान्वित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से नीचे के लेन-देनों के तहत देनदारियों के विषय में सूचित किया।

2. उपरोक्त साख सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	प्रतिभूति की प्रकृति (दृष्टिबन्धक/बन्धक आदि)	प्रतिभूतियों का विवरण [स्थान सहित पूर्ण विवरण, चौहद्दी, चारों ओर की माप, कुल विस्तार तथा स्वामी का नाम दिया जाना है]
1.	दृष्टिबन्धक	स्टॉक तथा बुकडैट का दृष्टिबन्धक
2.	बन्धक	खेवट सं. 13 मिन, खाता सं. 15, मुस्तिल एवं किला सं. 21/20/2 (6-0), 22//16(8-0) पर स्थित भूमि तथा आवासीय भवन के रूप में सम्पत्ति का इक्विटेबल बन्धक, राजस्व सम्पदा VIII, तेहा, तहसील, गन्नौर, जिला सोनीपत में, माप 400 वर्ग गज, स्वामित्व श्री सेवा राम प्रोप.

3. स्वीकृत शर्तों के अनुसार मूलधन ऋण/ब्याज के भुगतान में उपर्युक्त कर्जदारों द्वारा की गई चूक के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार 31.07.2020 (एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की तिथि) को आपके ऋण खाता को गैर-प्रचालन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आपके खाते को नियमित करने के लिए हमारे द्वारा आपको बार-बार स्मरण दिलाए जाने के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों को पुनर्भुगतान नहीं किया है।

4. क्यूं कि क्रम सं. 1 में आप ऊपर नामित ऋणधारक ऊपर वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों के द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में देयताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपके खाते को गैर-प्रचालन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण करने के उपरांत हम एतद् द्वारा आप क्रम सं. 1 एवं 2 को दी गई अपनी अग्रिमों को वापस लेते हैं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत आपको सूचित करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर पैरा 1 में वर्णित रु. 55,82,991/- तथा अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज + 2% ओवरड्यू ब्याज और यथासहमत मासिक रेस्ट्स के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का बैंक को भुगतान कर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें।

5. उपर्युक्त नामधारी बंधककर्ता/जमानती सं. 1 एवं 2 ने कर्जदारों द्वारा ली गयी साख सुविधाओं के लिए पुनर्भुगतान/गारंटी हेतु शपथ-पत्र दिया है तथा साथ ही उपर्युक्त कथित साख सुविधाओं को प्रतिभूत करने के लिए इसमें उल्लिखित सम्पत्तियों को भी बंधक किया है। चूँकि कर्जदारों ने पुनर्भुगतान में चूक की है अतः कर्जदार/बन्धककर्ता/जमानती गारंटी के सन्दर्भ में बैंक के बकाया कुल ऋण/साख सुविधाएँ रु. 55,82,991/- तथा अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज + 2% ओवरड्यू ब्याज और यथासहमत मासिक रेस्ट्स के साथ चक्रवृद्धि ब्याज अदा करने के उत्तरदायी हैं और एतद्वारा हम आप में से श्री सेवा राम पुत्र जेठराम त्यागी (मृत) नामक बंधककर्ता/जमानती के विरुद्ध जमानत का अवलम्ब लेते हैं जिसने सरफाएशी अधिनियम के तहत प्रवर्तनीय कोई गैर-कृषि प्रतिभूति प्रदान की है और इस सूचना की प्राप्ति की तिथि के साठ दिनों के भीतर कथित राशि अदा करने के लिए कहते हैं। कृपया परामर्श पर ध्यान दें कि जमानतियों का दायित्व कर्जदारों के दायित्व के साथ-साथ है।

6. हम मैसर्स कौशल इलेक्ट्रिकल्स तथा बंधककर्ताओं/जमानतियों श्री सेवा राम पुत्र जेठराम त्यागी (मृत) तथा श्री सेवा राम पुत्र जेठराम त्यागी (मृत) के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों (प्रोप मैसर्स कौशल इलेक्ट्रिकल्स), यदि कोई हो, तथा श्री अमनदीप त्यागी पुत्र शिव डल त्यागी ग्राम तेहा, तहसील-गन्नौर, जिला सोनीपत-131101 को जिन्होंने सरफाएशी अधिनियम के तहत प्रवर्तनीय किसी गैर-कृषि प्रतिभूतियों को प्रदान किया है, पुनः सूचित करते हैं कि ब्याज तथा प्रभारों आदि सहित भुगतान की तिथि तक उपर्युक्त राशि के भुगतान में असफल होने पर हम कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त सभी या किसी अधिकारों का उपयोग करेंगे।

7. कृपया ध्यान रहे कि ऋणधारक तथा गारंटर आगे के ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ बकाए का भुगतान करने के लिए पृथक अथवा संयुक्त रूप से कानूनी तौर पर उत्तरदायी हैं।

8. कृपया ध्यान रहे कि संपूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधाओं के लिए स्वीकृत दरों तथा रेस्ट्स पर ब्याज बढ़ती रहेगी।

9. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण/ स्वत्व-त्याग/ स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली में शामिल प्रावधानों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन एक अपराध है जिसके लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा जुर्माने का प्रावधान है।

10. क्रम सं. 2 पर सन्दर्भित जमानतियों ने कथित कर्जदारों के ऋणों को प्रतिभूत करने के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी है और इसलिए हम कर्जदारों को अपनी माँग के अनुसार बकायों का पुनर्भुगतान करने का परामर्श देते हैं क्योंकि हमें आपकी व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर अपने बकायों की वसूली के लिए आपसे अग्रिम का अलग से आह्वान करने, कानून के अनुसार तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है।

11. साथ ही, हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि निर्धारित समय में खाता को नियमित नहीं किया गया/ बकाए का भुगतान नहीं किया गया तथा यदि भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा आपको जान-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिया गया तो बैंक को आपके नाम, पते, चूक के विवरणों, बकायों आदि के साथ वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अतिरिक्त भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार समाचार पत्र(त्रों) में

12. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे उक्त बकाए की वसूली के साथ ही साथ आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय राशि के संदर्भ में आगे पुनः मांग करने के किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों के छूट के रूप में नहीं माना जाए।

13. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

नोट : पूर्व की निर्गत माँग सूचना तिथि 24.04.2017 तथा कब्जा सूचना तिथि 08.01.2018 निरस्त की जाती है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक, अधिकृत प्राधिकारी

SCHABLONA INDIA LIMITED

CIN: L51109DL1983PLC318655
Regd. Office: 82/19 Bhakerwara Road, Mundka, New Delhi-110 041;
Phone No.:011-28341085
Email: silinvestors@schablona.in,
Website: www.schablona.in

NOTICE

Pursuant to Regulations 29(1)(a) and 47(1)(a) of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held in Noida on Monday, the 24th August, 2020, to consider inter alia, the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June,2020,along with the Segment wise Revenue, Results and Capital Employed as on that date.

The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.schablona.in and on the website of the Stock Exchange where the Company's shares are presently listed,i.e. BSE Limited at www.bseindia.com

For **Schablona India Limited**
Sd/-
(Ritika Mansata)
Company Secretary
Mem. No.A34156

Place : Kolkata
Dated : 14.08.2020

पूर्वोत्तर रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना संख्या
NER-BSB0SnTOT-7-2020

मण्डल रेल प्रबन्धक / सिग एवं दूरसंचार / पूर्वोत्तर रेलवे / वाराणसी कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिये "खुली-ई निविदायें" आमंत्रित की जाती है:-

क्रमांक-1, निविदा सूचना संख्या एवं कार्य का नाम: NER-BSB0SnTOT-7-2020: कार्य का नाम: टेलीकॉम का कार्य को जोड़ते हुए सिवान में जेंट्स एंड लेडीज के लिये वेटिंग हॉल (A/C) की व्यवस्था और प्लेटफार्म की वैक्यूम डेकरिंग कंक्रीट सर्फिंग। **विवरण**: अनुमानित लागत: ₹ 9,97,719.10, बयाना की राशि: ₹ 20,000/-, निविदा प्रपत्र की कीमत: ₹ 2,000/-, कार्य पूर्ण करने की अवधि: 120 दिन। निविदा बंद होने की अंतिम तिथि एवं समय: 09-09-2020 को 15:00 बजे। (1) ई-निविदा दिनांक 09-09-2020 को 15:00 बजे तक आन लाईन जमा किया जा सकेगा। (2) पूर्ण विवरण की जानकारी प्राप्त करने एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेलवे की वेबसाईट i.e. www.ireps.gov.in देखें।

मण्डल रेल प्रबन्धक(सिंग. एवं दूरसंचार)
मुजाधि / सिगनल-17 वाराणसी

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो. नं.: 09794845955 पर एसएमएस करें।

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपबन्ध (अ) के मामले में
तथा
क्लिटोरिया वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय कार्यालय स्थान सं. 120, प्रथम तल, सुन्दरम टॉवर, प्लॉट 22-23, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 पर है।
..... आवेदक

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में स्थानान्तरित करने के लिए शुक्रवार, 31 जुलाई, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की माँग की गयी है। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :

क्लिटोरिया वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : U51109DL2007PTC304975
कार्यालय स्थान सं. 120, प्रथम तल, सुन्दरम टॉवर, प्लॉट 22-23, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
ई-मेल : clitoriavanijya@gmail.com

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
क्लिटोरिया वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
ह./-
वसु मित्र पाण्डेय
निदेशक
(डीआईएन : 07140225)

तिथि : 14.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

अरविंदो फार्मा को दूसरे चरण के परीक्षण की उम्मीद

हैदराबाद, 14 अगस्त (भाषा)।

दवा कंपनी अरविंदो फार्मा ने उम्मीद जताई है कि वह कोविड-19 की अपने प्रस्तावित टीके के पहले और दूसरे चरण का परीक्षण 2020 के अंत तक करेगी, जबकि तीसरा चरण अगले साल मार्च-अप्रैल के दौरान किया जा सकता है। फार्मा के प्रबंध निदेशक नारायणन गोविंदराजन ने विश्लेषकों के साथ हाल में आयोजित एक वार्ता के दौरान कहा कि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 15-20 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के टीके का विकास अमेरिका स्थित प्रोफैक्टस बायोसाइंसेज कर रही है, जिसे अरविंदो फार्मा की सहायक कंपनी ऑरो वैक्सीन एलएलसी ने अधिग्रहित किया था।

गोविंदराजन के अनुसार भारत में कंपनी की वायरल टीका विनिर्माण क्षमता को दो चरणों तैयार किया जाएगा। पहला चरण अक्तूबर तक और व्यावसायिक संयंत्र अगले साल मार्च तक तैयार हो जाएगा।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

77, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद
फोन नं. +91 0120-2797267 /2798756
E-mail- dbghaz@bankofbaroda.com

नियम-8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत**
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा, 77, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद शाखा यू.पी का** प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **श्री गिरिराज सिंह पुत्र सोहन पाल सिंह और कुंज लता पत्नी श्री गिरिराज सिंह और गारंटर श्री गोविंद राम पुत्र ओम प्रकाश को मांग सूचना दिनांक 17.02.2020 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 10,68,598.00 (रु. दस लाख अड़सठ हजार पाँच सौ अट्ठान्वे मात्र) दिनांक 17.02.2020 तक और दिनांक 17.02.2020 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित तक** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **11.08.2020** को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **बैंक ऑफ बड़ौदा, 77, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद शाखा यू.पी. के प्रभार वास्ते रू 10,68,598.00 (रु. दस लाख अड़सठ हजार पाँच सौ अट्ठान्वे मात्र) दिनांक 17.02.2020 तक और दिनांक 17.02.2020 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि (फ्लैट) प्लॉट नं. 60, यूजी-1, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-।।, भोपुरा, गाजियाबाद-201005 में स्थित, क्षेत्रफल 60.38 वर्ग मी., चौहद्दी : पश्चिम में - अन्य का प्लॉट, पूरब में - 40फीट रोड, दक्षिण में - प्लॉट नं. ए-61, उत्तर में - प्लॉट नं. ए-59

सीसी : गारंटर (1) गोविंद राम पुत्र ओम प्रकाश, पता : 9901, अहाता ठाकुर दास, सरॉय रोहिल्ला, दिल्ली-110035

दिनांक : 11.08.2020, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

RAMSONS PROJECTS LIMITED
CIN:- L74899DL1994PLC063708
Regd. Off.: 815, 8th Floor, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019
Website: www.ramsonsprojects.com,
Email ID: corprelations@ramsonsprojects.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, August 21, 2020, at Corporate office of the Company SAS Tower, Sector-38, Gurugram-122001 inter alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended on 30-06-2020 and to consider any other matter with the permission of the chair.

The said notice is also available on the website of the Company i.e. (www.ramsonsprojects.com) and the website of the stock exchange i.e. (www.bseindia.com).

For **Ramsons Projects Limited**
Sd/-
Megha Goel
Company Secretary

Place: Gurugram
Date: 14.08.2020

CRANEX LIMITED
CIN: L74899DL1973PLC006503
Registered Office: 9, DDA Market, Katwaria Sarai, Opposit Qutab Hotel, New Delhi -110016
Works: 57/1, Site-IV, Industrial Area, Sahibabad-201010, Distt. Ghaziabad (U.P.)
Ph: 0120-3240427, 4167628
Fax: 91-120-4167630
Website: www.cranexltd.com
Email: cranex1@yahoo.com, info@cranexltd.com

NOTICE

In Compliance of Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, August 20th 2020 at 5:00 pm at the Corporate Office of the Company at 57/1, Industrial Area, Site IV, Sahibabad -201010 (UP) to consider and approve, inter-alia, the un-audited Standalone Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2020.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.cranexltd.com and may also be accessed on the Stock Exchange at www.bseindia.com

By Order of the Board
For **Cranex Limited**
Sd/-
Shubham Kapil
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Ghaziabad
Date: 14.08.2020

अधिकारी की पत्नी को बीमे के 50 लाख रुपए देगी महाराष्ट्र सरकार

मुंबई, 14 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले एक ग्रामीण विकास अधिकारी की पत्नी को बीमे के 50 लाख रुपए देगी। सरकारी दस्तावेज में यह जानकारी दी गई।

गुरुवार को जारी संकल्प पत्र के मुताबिक परभनी गंगाखेड़ तालुका के सूपा ग्राम पंचायत में ग्रामीण विकास अधिकारी रामदास आमले ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से पीड़ित हो गए थे और तीन अगस्त को उनकी मौत हो गई। सरकार ने पिछले ही महीने ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद स्तर के कोरोना विषाणु संक्रमण को फैलने से रोकने के काम में जुटे अपने कर्मचारियों को सितंबर अंत तक इस तरह का बीमा देने का फैसला किया था। परभनी जिला परिषद ने इस बारे में राज्य सरकार को सूचित किया और मृतक के परिवार को बीमे के 50 लाख रुपए देने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग ने संकल्प पत्र जारी कर रामदास आमले की पत्नी रंजना को उक्त राशि देने की घोषणा की।

PRABHAT SECURITIES LIMITED

Regd Off- "SATYAM", 4/276, PARWATI BAGLA ROAD, KANPUR
Cin- L22022UP1982PLC005759
Ph: 0512-2526347,E-Mail- prabhatsecurities@gmail.com

(Rs. In Lakh)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2020	Quarter ended 30.06.2019
1.	Total Income from Operations	5.66	7.85
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.02	1.45
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.02	1.45
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.65	1.07
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.65	1.07
6.	Equity Share Capital	290.00	290.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-
8.	Earnings Per Share		
	1. Basic :	0.02	0.04
	2. Diluted:	0.02	0.04

Note:-The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Company's Website (www.http://prabhatsecuritiesltd.com) and Calcutta Stock Exchange websites (http://www.cse-india.com.)

For PRABHAT SECURITIES LIMITED
SD/-
RAMAKANT KUSHWAHA
(MANAGING DIRECTOR)

Date- 14/08/2020
Place- Kanpur

हालात मंदिरों को खोलने के अनुकूल नहीं हैं : अदालत

मुंबई, 14 अगस्त (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में मंदिरों को आमजन के लिए खोले जाने का अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौजूदा हालात पूजास्थलों को दोबारा खोले जाने के अनुकूल नहीं हैं।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीवी तावड़े की पीठ ने कहा कि राज्य में कोविड-19 संबंधी हालात में सुधार नहीं हुआ है और इसलिए लोगों को घर में ही पूजा करनी चाहिए।

अदालत में जनहित याचिका दायर करके अनुरोध किया गया था कि महाराष्ट्र सरकार को, मंदिरों को आमजन के लिए पुनः खोलने का आदेश दिया जाए। यह याचिका वकील दीपेश सिरोया के जरिए दायर की गई। सिरोया ने तर्क दिया कि राज्य सरकार मंदिर खोल सकती है और कोविड-19 पूर्णबंदी के दिशा निर्देशानुसार एक समय में सीमित लोगों को पूजा करने की अनुमति दे सकती है। पीठ ने सिरोया से सवाल किया कि वह निजी तौर पर किस मंदिर को 'सबसे बड़ा' मानते हैं? इसके जवाब में वकील ने कहा, 'सबसे बड़ा मंदिर मानवता है।'

इसके बाद, पीठ ने कहा, 'यदि आप मानवता से प्रेम करते हैं, तो इस प्रकार की प्रार्थनाओं के लिए दबाव न बनाएं।' उसने कहा, 'मानवता से प्रेम और उसकी सुरक्षा के लिए घर पर ही पूजा करें।'

AMIN TANNERY LIMITED

CIN No.U19115UP2013PLC055834
Regd. Office: 15/288 C, Civil Lines, Kanpur - 208 001 (U.P);
Ph. No.: +91 512 2304077, Email: share@amintannery.in, Web: www.amintannery.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020 (₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Three Months ended 30.06.2020 (Unaudited)	Three Months ended 31.03.2020 (Audited)	Three Months ended 30.06.2019 (Unaudited)	Year ended 31.03.2020 (Audited)
1.	Total Income	243.95	952.23	621.67	3,263.59
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	0.66	76.54	94.40	338.06
3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	(73.61)	(5.25)	9.02	17.45
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	(73.61)	(5.25)	9.02	17.45
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	(54.95)	(6.26)	6.37	10.34
6.	Total Comprehensive Income for the period	(55.15)	(8.89)	5.36	6.17
7.	Equity Share Capital (Face value of ₹ 1/- per share)	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73
8	Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹1/-each) (Not Annualized *)				
i	Before Extraordinary Items (in ₹)	(0.05)	(0.01)	0.01	0.01
ii	After Extraordinary Items ((in ₹)	(0.05)	(0.01)	0.01	0.01

NOTE: The above is an extract of the detailed format of un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended financial results are available on the Stock Exchange websites:- www.bseindia.com and on the Company's website www.amintannery.in.

For and on Behalf of Board of Directors
VEQARUL AMIN
Managing Director
DIN : 00037469

Place: KANPUR
Date: 14th August, 2020

इण्डियन ओवरसीज बैंक
INDIAN OVERSEAS BANK

पं0 दिन दयाल चौक, सिविल लाईन, आजमगढ़ - 276001
फोन - 05462-246842

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति अधिनियम (SARFAESI) अधिनियम 2002 के खण्ड - 13 (2) के अन्तर्गत सुरक्षित ब्याज (प्रवर्तन) के नियम (3)1, 2002 के साथ पठनीय

1. जबकि अधोहस्ताक्षरी इण्डियन ओवरसीज बैंक के (SARFAESI) अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत है और खण्ड-13(2) नियम-3 के अनुसार सारी शक्तियों के उपयोग का अधिकारी है, खण्ड 13(2) के अधीन उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी करता है, जिसके अनुसार सूचिबद्ध ऋणकर्ताओं/बंधनकर्ता/जमानतदारों (तात्पर्य ऋणकर्ताओं) से कि वह नोटिसानुसार बकाया राशि का भुगतान नोटिस प्राप्ति की तिथि से 60 दिवस के अन्दर निम्न विवरणानुसार करे।

2. उपरोक्त नोटिस डाक विभाग द्वारा निरोत्तर अंकित करके वापस कर दिया गया तथा ऋणकर्ताओं/बंधनकर्ताओं/जमानतदारों, द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया अत: बैंक चेतावनी के माध्यम से डिमांड नोटिस का प्रकाशन करा रहा है अधोहस्ताक्षरी इस कारणवश इन नोटिसों को उपरोक्त अधिनियम के अनुसार ऋणकर्ताओं/बंधनकर्ताओं/जमानतदारों के अन्तिम ज्ञात पते पर चस्पा किये जाने का आदेश देती है उपरोक्त नोटिसों की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और यदि ऋणकर्ताओं/बंधनकर्ताओं/जमानतदारों द्वारा यदि इच्छा हो तो उपरोक्त प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि के संदर्भ में, एक बार फिर ऋणकर्ताओं/बंधनकर्ताओं/जमानतदारों को नोटिस जारी की जाती है कि उपरोक्त नोटिस के प्रकाशन तिथि से 60 दिवस के अन्दर निम्नलिखित प्रदर्शित अथवा भुगतान राशि/ऋण एवं अन्य अभिलेखों के अन्तर्गत इण्डियन ओवरसीज बैंक को भुगतान करें। ऋण भुगतान की सुरक्षा हेतु इण्डियन ओवरसीज बैंक पास सम्बन्धित पक्षों द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों को बन्धक रखा गया है।

क्र. सं.	ऋणी / उधारकर्ता / जमानतदारों का नाम व पता	दिनांक 20.07.2020 तक कुल बकाया	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना का दिनांक
1.	मेसर्स, मोहम्मद मोबाइल कौटेज (प्रो. मेहताब अहमद) भगवती साह कटरा, चौक, आजमगढ़ (ऋणी)	1,56,065.90 एक लाख छप्पन हजार पैंसठ रूपये और नब्बे पैसा मात्र	जमीन व बिल्डिंग का सामयिक बंधक मोहल्ला फारस टोला, वार्ड नं 1, तहसील सदर, जिला आजमगढ़, श्रीमति शाहजाहाँ बेगम पत्नी अश्फाक अहमद, के नाम रक्षित प्लाट का क्षेत्रफल: 60.75 वर्ग मिटर	22.07.2020
2.	श्रीमति शाहजाहाँ बेगम पत्नी अश्फाक अहमद, मोहल्ला फारस टोला, वार्ड नं 1, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ (उधारकर्ता/बंधककर्ता)			
3.	श्री अश्फाक अहमद मोहल्ला फारस टोला, वार्ड नं 1, तहसील सदर, जिला आजमगढ़			

*भुगतान तिथि तक उपरोक्त वर्णित तिथि से संविदागत दरों के अतिरिक्त ब्याज दर पर भुगतान करना होगा।

4. अगर ऋणकर्ताओं/बंधनकर्ताओं/जमानतदारों इण्डियन ओवरसीज बैंक को उपरोक्त भुगतान करने में असफलता होता है तो इण्डियन ओवरसीज बैंक उपरोक्त बंधक सम्पत्ति के खिलाफ के (SARFAESI) नियम के अंतर्गत खण्ड 13(4) के अधीन ऋणकर्ताओं/बंधकर्ताओं/जमानतदारों के सम्पूर्ण जोखिम लागत व परिणाम के साथ अधिग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5. इसके अतिरिक्त अधिनियम 13 के उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत ऋणकर्ताओं/बंधनकर्ताओं/जमानतदारों का ध्यान आमंत्रित किया जाता है कि वे समयानुसार स्वयं ही उपरोक्त बन्धक सम्पत्तियों का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

6. अंकित ऋणकर्ताओं/बंधनकर्ताओं/जमानतदारों द्वारा बन्धक सम्पत्तियों को किसी भी तरह की विक्री/पट्टा या तदानुसार विना इण्डियन ओवरसीज बैंक की स्वीकृति के प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति अधिनियमों के प्रावधानों या अनुबंधों का उल्लंघन करता हो या उल्लंघन का प्रेरक हो, अधिनियम की धारा 19 के अनुसार कारावास अथवा जुर्माना का भागी होगा।

दिनांक : 14.08.2020 स्थान : आजमगढ़
प्राधिकृत अधिकारी- इण्डियन ओवरसीज बैंक

PEE CEE COSMA SOPE LTD.

Regd. Office : PADAMDEEP, 5th & 6th Floor, G-10/8, Sanjay Place , Agra-282002
Tel.: 0562-2527330/31/32, Fax: 0562-2527329, E-mail:pccosmalisting@doctorsoap.com
CIN : L24241UP1986PLC008344, Website : www.doctorsoap.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2020

₹in Lakh

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 30.06.2020 (UNAUDITED)	Quarter Ended 31.03.2020 (AUDITED)	Quarter Ended 30.06.2019 (UNAUDITED)	Year Ended 31.03.2020 (AUDITED)
1	Total Income from Operations	2182.61	1509.98	2105.41	7427.29
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	207.43	23.11	138.14	287.37
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	207.43	23.11	138.14	287.37
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	149.64	10.48	108.48	210.54
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	149.64	10.48	108.48	210.54
6	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs.10/-each)	264.63	264.63	264.63	264.63
7	Earning per share (Quarterly not annualised)				
	Basic (Rs.)	5.70	0.40	4.10	8.00
	Diluted (Rs.)	5.70	0.40	4.10	8.00

Notes : (1) The detailed Unaudited Financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their meeting held on August 14, 2020. (2) The above is an extract of the detailed format of financial results for Quarter ended June 30, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly results are available on the websites of Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company's website (www.doctorsoap.com). (3) An Independent Auditors Review Report as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed on detailed Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 filed with the Stock Exchanges. (4) Figures for the previous period have been regrouped wherever necessary, to conform to the current period's classification.

For & on behalf of the Board
PEE CEE COSMA SOPE LIMITED
ASHOK KUMAR JAIN
(Executive Chairman)
DIN : 00113133

PLACE : AGRA
DATED : 14.08.2020

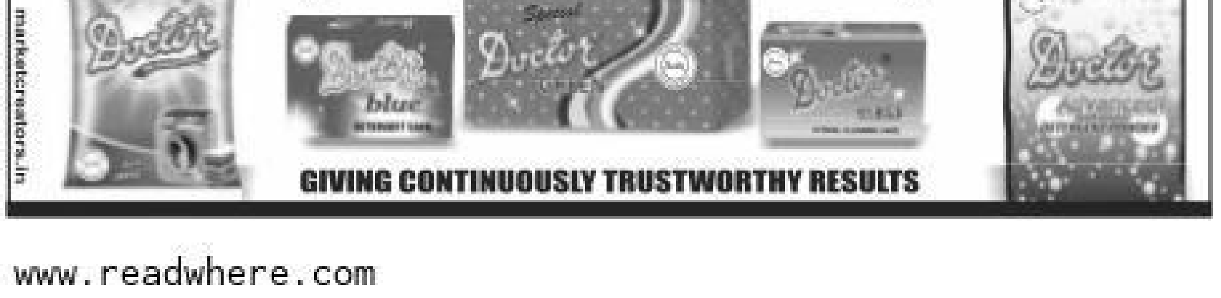
A TRUSTED NAME FOR MORE THAN 70 YEARS
Doctor
GIVING CONTINUOUSLY TRUSTWORTHY RESULTS

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

Relationship beyond Banking

सफदरजंग एन्क्लेव शाखा
बी -6 / 8, लोकल शॉपिंग सेंटर, चौधरी हरसुख मार्ग, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029
फोन- 011-28866063, 40793514, 26172487

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)
सरफेसिया अधिनियम, 2002 के तहत [नियम-8 (1)]

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बैंक ऑफ इण्डिया, सफदरजंग एन्क्लेव शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **10.01.2020** को मांग नोटिस नम्बर-**BOI/SDJ/ADV/2019-20** जारी किया था जिसमें उधारकर्ता **श्रीमती रविन्द कौर दिलावरी (चूंकि मृतक) ज्ञात कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से (श्री जसपाल सिंह दिलावरी और श्री इतेन्द पाल सिंह दिलावरी) श्री जसपाल सिंह दिलावरी और श्री इतेन्द्र पाल सिंह दिलावरी** को मांग नोटिस में वर्णित ऋण की राशि **रू. 28,55,330/-(अट्ठाइस लाख पचपन हजार तीन सौ तीस) तथा ब्याज डब्लूईएफ 11.01.2020** और अन्य कर और अन्य खर्च सहित नोटिस दिये जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।

उधारकर्ता द्वारा धनराशि अदा न करने पर उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **11.08.2020** को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ इण्डिया, सफदरजंग एन्क्लेव शाखा नई दिल्ली** को देय धनराशि **रू. रू. 28,55,330/-(अट्ठाइस लाख पचपन हजार तीन सौ तीस)** साथ में ब्याज और अन्य कर व अन्य खर्चे सहित देना होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण भाग जो आवासीय सम्पत्ति के रूप में ए-60 पूरी दूसरी मंजिल (कोने वाला हिस्सा) मालवीय नगर, नई दिल्ली जो पंजीकृत कार्यालय, सब-रजिस्ट्रार-4, नई दिल्ली में स्वामित्व श्रीमती रविन्द कौर दिलावरी और श्री जसपाल सिंह दिलावरी के नाम पंजीकृत है।

जिसकी सीमाऐं:- उत्तर: बालकनी और सड़क, **दक्षिण:** बालकनी और सर्विस लेन, **पूर्व:** गैलरी और बांयी ओर ए-60 का भाग, **पश्चिम:** सड़क

दिनांक: 11.08.2020
स्थान: नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया